

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6-7, जाबता बीवाली)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

तारीख अधिकारी :- सत्यनारायण २०२२

वाद संख्या :- 148/2024

1. प्रेम सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति बावरी निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. करतार सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति बावरी निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. सुरजन सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति बावरी निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

-- वादी

बनाम

1. रामधारी पुत्री महेन्द्र सिंह पत्नी श्री चन्द्र सिंह जाति बावरी निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला-हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

-- प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा :- 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :- 25/10/24

वादी की ओर से श्री कुन्दनलाल अधिवक्ता व प्रतिवादी की ओर से श्री विकास शर्मा अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 25/10/24 को सत्यनारायण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर अन्तिम डिक्री की जाती है, कि वादी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद पत्र में वर्णित चक नम्बर चक 9 के एच. आर. जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के वर्तमान संयुक्त खाता सं० 48/48 में अंकित कुल 5.5660 हैक्टेयर में वादीगण के पिता श्री महेन्द्र सिंह पुत्र सुन्दर सिंह के नाम से दर्ज 928/2783 हिस्सा आराजी के वादीगण को 40है०४० खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नम्बर 9 के एच. आर. खाता संख्या 48/48 में से महेन्द्र सिंह पुत्र सुन्दर सिंह का नाम कलमजुन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किरम (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 25/10/24 मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई मुहर



सत्यनारायण एच
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

